

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 04.09.2024

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में 25000- 25000/ रुपये के इनामियां व गैंगस्टर एक्ट के वांछित 02 इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

लीलापुर पुलिस द्वारा 25000- 25000/ रुपये के इनामियां 02 वांछित अभियुक्त रफीक पुत्र रहमतउल्ला व अबु तालिब पुत्र रफीक को लखपेड़ा मार्ग घरौरा मोड़ के पास से किया गया गिरफ्तार

हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, गाली गलौज व गैंगस्टर के गम्भीर अपराध में संलिप्त है दोनों इनामिया अपराधी

गैंगस्टर इनामियां अपराधी रफीक पुत्र रहमतउल्ला व अबु तालिब पुत्र रफीक पर लगभग आधा दर्जन हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, गाली गलौज जैसी गम्भीर धाराओं में दर्ज हैं अभियोग

अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहोल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ

गैंगसदस्य रफीक पुत्र रहमतउल्ला व अबु तालिब पुत्र रफीक निवासीगण गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा 25,000/- 25000/- रुपये का घोषित किया गया था ईनाम

एसपी पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत सोनकर के नेतृत्व में गैंगस्टर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लीलापुर पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश

प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना लीलापुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्तों के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी रही थी।

थाना लीलापुर पर दिनांक 10.05.2024 को मु०अ०सं० 191/24 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम गैंग लीडर रफीक पुत्र रहमतउल्ला व नफीस, फिरोज, अबु तालिब पुत्रगण रफीक नि०गण गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

गैंगस्टर रफीक पुत्र रहमतउल्ला व अबु तालिब पुत्र रफीक निवासीगण गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा 25,000/- 25,000/ रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.09.2024 को प्र०नि० नरेन्द्र सिंह मय हमराह उ०नि० शैलेश यादव, उ०नि० अजय सिंह, उ०नि० शहंशाह खान, म०उ०नि० ज्योति सिंह, हे०कां० अजय प्रजापति, कां० राजकिशोर यादव, कां० सुजीत यादव, म०कां० प्रीति यादव, कां० योगेश कुमार, कां० हरेन्द्र सिंह, कां०चा० अजय यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश पुरस्कार/ इनामिया घोषित वांछित व वारण्टी, चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रान्तर्गत लखपेड़ा मार्ग घरौरा मोड़ के पास से गैंगस्टर रफीक पुत्र रहमतउल्ला व अबु तालिब पुत्र रफीक निवासीगण गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

रफीक पुत्र रहमतउल्ला व अबु तालिब पुत्र रफीक निवासीगण गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अपने (गैंगलीडर नफीस व सदस्य फिरोज खान पुत्रगण रफीक) के साथ दिनांक 30.03.2023 को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत गाबी महुआवन में इसराइल पुत्र अब्दुल जिब्राइल की लाठी डंडा कुल्हाड़ी व फावडा से हमला कर हत्या कर दी ताकि गांव के आम कच्चे रास्ते को बंद कर दें। इस संबंध में अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना लीलापुर में मु०अ०सं०-91/2023 धारा-147, 148, 149, 323, 504, 506, 302, 201, 34 भादवि० पंजीकृत किया गया था। जमानत पर छूटने के पश्चात गिरोह के सदस्य अबु तालिब उपरोक्त ने दि०- 20.04.2024 को वादी मुकदमा/साक्षी को मां बहन की गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भयभीत किया जिसके संबंध में मु०अ०सं०-152/24 धारा-504, 506 भादवि० पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. रफीक पुत्र रहमतउल्ला निवासीग्राम गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
2. अबु तालिब पुत्र रफीक निवासीग्राम गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास -

रफीक (गैंग सदस्य) पुत्र रहमतउल्ला निवासीग्राम गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़-

1. मु०अ०सं० 91/23 धारा 147/148/149/323/504/506/302/201/34 भादवि थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु०अ०सं० 351/2018 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना लालंगज जनपद प्रतापगढ़।
3. मु०अ०सं० 191/24 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० 1986 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

अबु तालिब (गैंग सदस्य) पुत्र रफीक निवासीग्राम गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

1. मु0अ0सं0 91/23 धारा147/148/149/323/504/506/302/201/34 भादवि थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0असं0 152/24 धारा 504/506 भा0द0वि0 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 191/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 351/2018 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना लालंगज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:-

प्र0नि0 नरेन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 शैलेश यादव, उ0नि0 अजय सिंह, उ0नि0 शहशाह खान, म0उ0नि0 ज्योति सिंह, हे0कां0 अजय प्रजापति, कां0 राजकिशोर यादव, कां0 सुजीत यादव, म0कां0 प्रीति यादव, कां0 योगेश कुमार, कां0 हरेन्द्र सिंह, कां0चा0 अजय यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

एसपी द्वारा चेकिंग के दिये गये हैं सख्त निर्देश

थाना अंतू पुलिस द्वारा चोरी की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत प्रा0वि0 जगदीशपुर के पास बाग से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के पास से चोरी की 01 जोड़ी हाथ फूल सफेद धातु, 01 जोड़ी पायजेब सफेद धातु व रु0-1200/- नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.09.2024 की दिन में थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत महुआताल में घर का ताला तोड़कर चोरी होने के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना अंतू में 509/2024 धारा 305, 331(3) बीएनएस बनाम 01 नामजद अभियुक्त' का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना अंतू के नेतृत्व में दिनांक 03.09.2024 को उ0नि0 शुभनाथ साहनी, हे0कां0 गोरेलाल, कां0 अवधेश यादव, कां0 दीपक यादव, कां0 बुद्धिपाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर से प्राप्त सूचना पर मु0अ0सं0 509/2024 धारा 305, 331(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त रामवरन वर्मा पुत्र रामलखन वर्मा निवासी महुआताल जगदीशपुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रा0वि0 जगदीशपुर के पास बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से चोरी की 01 जोड़ी हाथ फूल सफेद धातु, 01 जोड़ी पायजेब सफेद धातु व रु0-1200/- नगद बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) भादवि की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामवरन वर्मा पुत्र रामलखन वर्मा निवासी महुआताल जगदीशपुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

01 जोड़ी हाथ फूल सफेद धातु,

02. 01 जोड़ी पायजेब सफेद धातु

03. रु0-1200/- नगद बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 शुभनाथ साहनी, हे0कां0 गोरेलाल, कां0 अवधेश यादव, कां0 दीपक यादव, कां0 बुद्धिपाल सिंह थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत कायस्थपट्टी मोड़ से किया गया गिरफ्तार

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसरामपुर में वादी के पिता को एक राय होकर गाली गलौज व मारपीट कर हत्या करने के प्रकरण में पंजीकृत था अभियोग

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपीगण द्वारा थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसरामपुर में वादी के पिता को एक राय होकर गाली गलौज व मारपीट कर हत्या करने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में दि0-20.04.2024 को मु0अ0सं0 136/2024 धारा 147,148,149, 323, 504, 506, 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक आदित्य सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज मे पंजीकृत मु0अ0सं0 136/2024 धारा 147,148,149, 323, 504, 506, 302 भादवि से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त मो0 एराफ पुत्र गुलहसन निवासा ग्राम परसरामपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र रानीगंज के कायस्थपट्टी मोड़ से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01 मो0 एराफ पुत्र गुलहसन निवासा ग्राम परसरामपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक आदित्य सिंह मय हमराह का० प्रदीप कुमार, का० चालक आयुष यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

एसपी द्वारा चेकिंग के दिये गये है सख्त निर्देश

थाना कोहड़ौर पुलिस द्वारा चोरी की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कोहड़ौर क्षेत्रान्तर्गत सरायरजई सुल्तानपुर बार्डर से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के पास चोरी की 01 हीरो एचएफ डीलक्स मोटर साइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 02.09.2024 को वादी की मदाफरपुर बाजार से 03 व्यक्तियों द्वारा हीरो एचएफ डीलक्स मोटर साइकिल चोरी करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोहड़ौर में मु०अ०सं० 150/2024 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी कोहड़ौर उ०नि० राधेश्याम के नेतृत्व में उ०नि० निकेत भारद्वाज, उ०नि० प्रतीक सिंह मय हमराह हे०कां० राजीव कुमार, कां० मनीष कुमार, कां० प्रवीण कुमार द्वारा दिनांक 04.09.2024 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मु०अ०सं० 150/2024 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र गया प्रसाद सिंह निवासी ग्राम गरये थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर को थाना कोहड़ौर क्षेत्रान्तर्गत सराय रजई सुल्तानपुर बार्डर से चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित सिंह के पास से सरायरजई सुल्तानपुर के पास से चोरी की 01 अदद चोरी की हीरो एचएफ डीलक्स मोटर साइकिल नं० यूपी 44 बीबी 6689 बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) भादवि की बढ़ोत्तरी की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अंकित सिंह पुत्र गया प्रसाद सिंह निवासी ग्राम गरये थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी- 01 अदद चोरी की हीरो एचएफ डीलक्स मोटर साइकिल नं० यूपी 44 बीबी 6689 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 निकेत भारद्वाज, उ0नि0 प्रतीक सिंह मय हमराह हे0कां0 राजीव कुमार, कां0 मनीष कुमार, कां0 प्रवीण कुमार थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी आरोपी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा अगई मोड़ से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 14.07.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0 273/2024 धारा 363, 366, 323, 504, 506, 376, 344 भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री नीरज यादव के नेतृत्व में उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह, कां0 नीतीश कुमार द्वारा अभियुक्त लालबहादुर पटेल पुत्र बुधई उर्फ हरिकेश पटेल निवासी ग्राम गोसाईंराम का पुरवा मौजा लहुरेपुर थाना सलोन जनपद रायबरेली को दिनांक 04.09.2024 को थानाक्षेत्र लालगंज के अगई मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त लालबहादुर पटेल को मु0अ0सं0 273/2024 धारा 363, 366, 323, 504, 506, 376, 344 भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

लालबहादुर पटेल पुत्र बुधई उर्फ हरिकेश पटेल निवासी ग्राम गोसाईंराम का पुरवा मौजा लहुरेपुर थाना सलोन जनपद रायबरेली।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह, कां0 नीतीश कुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना फतनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत सुवंसा नहर पुलिया के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
अभियुक्त सुरेन्द्र बिन्द उर्फ कल्लू बिन्द के कब्जे से 06 अदद देशी बम किया गया बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना फतनपुर राकेश कुमार राय के नेतृत्व में उ०नि० शेषनाथ यादव मय हमराह हे०का० पंकज कुमार, कां० दशरथ पटेल, कां० रामनिवास द्वारा रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान दिनांक 04.09.2024 को 06 अदद देशी बम के साथ 01 अभियुक्त सुरेन्द्र बिन्द उर्फ कल्लू बिन्द पुत्र स्व० राममूरत बिन्द निवासी ग्राम हंसराजपुर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज को थानाक्षेत्र के सुवंसा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त सुरेन्द्र बिन्द उर्फ कल्लू बिन्द पुत्र स्व० राममूरत बिन्द निवासी ग्राम हंसराजपुर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज के कब्जे से 06 अदद देशी बम बरामद किया गया । बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 194/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुरेन्द्र बिन्द उर्फ कल्लू बिन्द पुत्र स्व० राममूरत बिन्द निवासी ग्राम हंसराजपुर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज।
बरामदगी- 06 अदद देशी बम बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० शेषनाथ यादव मय हमराह हे०का० पंकज कुमार, कां० दशरथ पटेल, कां० रामनिवास थाना फतनपुर
जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी,
एएसपी(पश्चिमी) एवं क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार
कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी(फर्जीवाडे) करने के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जेठवारा पुलिस टीम ने थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बछुआ से 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत आरोपीगणों द्वारा वादिनी के फोटो के साथ फर्जी कूटरचित दस्तावेज बनाने के संबंध में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 144/23 धारा 419,420,467,468,471,409 भादवि बनाम 02 व्यक्ति नामजद व बैंक ऑफ बडौदा के अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 04.09.2024 को थाना जेठवारा के उ0नि0 गणेश दत्त पटेल मय हमराह का0 विवेक कुमार यादव, म0का0 छाया सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0अ0सं0 144/23 धारा 419,420,467,468,471,409 भादवि से संबंधित अभियुक्ता 01. सुमित्रा देवी पत्नी विजय बहादुर निवासी ग्राम बछुआ थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र जेठवारा के ग्राम बछुआ से गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 144/23 धारा 419,420,467,468,471,409 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1- सुमित्रा देवी पत्नी विजय बहादुर निवासी ग्राम बछुआ थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 गणेश दत्त पटेल मय हमराह का0 विवेक कुमार यादव, म0का0 छाया सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

धमकी देकर दुष्कर्म करने के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

01 अभियुक्त को दुष्कर्म व आईटी एक्ट के अभियोग में गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

थाना फतनपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत पाण्डेयतारा ग्राम सभा के गेट के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी के साथ आरोपी द्वारा जबरन धमकी देकर दुष्कर्म करने, वीडियो वायरल करने के प्रकरण में वादिनी की तहरीर के आधार अन्तर्गत धारा 64, 351(3) बीएनएस व 67A आईटी एक्ट बनाम 01 अभियुक्त नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष फतनपुर प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार राय मय हमराह का० अभिषेक सिंह, का० मनोज कुमार, का० रामप्रताप यादव, म०का० ज्योति देवी द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64, 351(3) बीएनएस व 67A आईटी से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त हवलदार गौतम पुत्र रामसूरत गौतम निवासी ग्राम अवधानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र फतनपुर के पाण्डेयतारा ग्राम सभा के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- हवलदार गौतम पुत्र रामसूरत गौतम निवासी ग्राम अवधानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार राय मय हमराह का० अभिषेक सिंह, का० मनोज कुमार, का० रामप्रताप यादव, म०का० ज्योति देवी थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह कां० संदीप यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, वाद संख्या 1351/2023 धारा 128 सीआरपीसी थाना अमेठी जनपद अमेठी से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 01- रमजान अली पुत्र मेहनाज उर्फ चैतू निवासी ग्राम खानापट्टी तकिया लालगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण- 01-रमजान अली पुत्र मेहनाज उर्फ चैतू निवासी ग्राम खानापट्टी तकिया लालगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह कां0 संदीप यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई के उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह हे0कां0 शिवशंकर सिंह, कां0 रामदेव गौतम द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान केस नं0-1848/2011 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना कन्धई से संबंधित वारण्टी अभियुक्त रामदुलार पुत्र बाबूलाल नि0ग्राम चकमुबारकपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण- रामदुलार पुत्र बाबूलाल नि0ग्राम चकमुबारकपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह हे0कां0 शिवशंकर सिंह, कां0 रामदेव गौतम थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।